

प्रेषक,

पंकज कुमार अग्रवाल
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
मुजफ्फरनगर

सेवा में,

श्रीमान ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार (एडमिन⁴¹⁴)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय: ई-मेल दिनांकित 31.10.2019 के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

वर्ष 2010 से वर्ष 2019 तक कर्य की गयी चल सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष 2011—12

नियुक्ति की दिनांक 11.1.2011 से 31.3.2012 तक मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

वर्ष 2012—13

दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2013 तक मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

वर्ष 2013—14

दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2014 तक मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

वर्ष 2014—15

दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2015 तक मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

वर्ष 2015—16

दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016 मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

वर्ष 2016—17

दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

वर्ष 2017—18

दिनांक 1.4.2017 से 31.3.2018 तक मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

वर्ष 2018—19

दिनांक 1.4.2018 से 31.03.2019 तक मेरे द्वारा मूल वेतन से अधिक धनराशि की कोई चल सम्पत्ति इस अवधि में नहीं खरीदी गयी है।

कार लोन के विषय में आख्या

मेरे द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सुलतानपुर शाखा जिला सुलतानपुर से 6,25,000 रुपये का कार लोन दिनांक 22.6.2012 को लिया था जिसका पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान मय ब्याज मेरे द्वारा निम्न अनुसार किया जा चुका है।

वर्ष 2012—13 में किया गया भुगतान 1,03,000 रुपये

वर्ष 2013—14 में किया गया भुगतान 1,62,000 रुपये

वर्ष 2014—15 में किया गया भुगतान 4,46,389 रुपये

वर्तमान में कार लोन के विषय में कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

K

होम लोन के विषय में आख्या

मेरे द्वारा जे पी एसोसियेट में उडान प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फ्लेट बुक कराया गया था परन्तु उक्त जे पी एसोसियेट द्वारा उक्त उडान प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने से पूर्व ही निरस्त कर दिया गया। उक्त कम्पनी के विरुद्ध दिवालिया कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।

मेरे द्वारा दिनांक 21.10.2014 को एच डी एफ सी बैंक से 8,24,636 रूपये ऋण के रूप में ग्रान्ट कराये गये थे। जिसका पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान मय ब्याज मेरे द्वारा निम्न अनुसार किया जा चुका है।

वर्ष 2014-15 में किया गया भुगतान	40,205 रूपये
वर्ष 2015-16 में किया गया भुगतान	96,492 रूपये
वर्ष 2016-17 में किया गया भुगतान	4,84,213 रूपये
वर्ष 2017-18 में किया गया भुगतान	3,03,948 रूपये

वर्तमान में होम लोन के सम्बन्ध में कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

महोदय, मेरे से इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण पूर्व में नहीं चाहा गया था इसलिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था फिर भी यदि कोई विलम्ब पाया जाता है तो प्रार्थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

दिनांक 02.12.2019

(पंकज कुमार अग्रवाल) 2.12.19
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
मुजफ्फरनगर